रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 95] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 16, 1976/फाल्गुन 26, 1897
No. 95] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 16, 1976/PHALGUNA 26, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March 1976

G.S.R. 127(E).—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955 (16 of 1955), read with clause 39 of the Finance Bill, 1976, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title.**—These rules may be called the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Construction of References Rules, 1976

2. **Construction of references to certain expressions.**—In the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Rules, 1956, any reference to each of the expressions specified in the Schedule annexed hereto shall, unless the context otherwise requires, be construed as a reference to "narcotic drug" or "narcotic" as defined in clause (h) [as directed to be substituted by clause 39(b)(iv) of the Finance Bill, 1976] of section 2 of the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955 (16 of 1955)

THE SCHEDULE

1. Opium, Indian hemp and other narcotic drugs or narcotics.
2. Opium, Indian hemp and other narcotic drugs and narcotics.
3. Opium, Indian hemp, narcotic drugs and other narcotics.
4. Opium, Indian hemp and other narcotic drug and narcotics
5. Opium, Indian hemp or other narcotic drug or narcotic.
6. Opium, Indian hemp or other narcotic drugs and narcotics.

[No. 4-F. No. 655/6/74 (Opium)]

O. P. MEHRA, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1976

सा० का० नि० 127(अ).—वित्त विधेयक, 1976 के खण्ड 39 के साथ पठित औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1955 (1955 का 16) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम.**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद-शुल्क) निर्देशों का अर्थान्वयन नियम, 1976 है ।

2. **कतिपय पदों के प्रति निर्देशों का अर्थान्वयन.**—औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद-शुल्क) नियम, 1956 में, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों में से प्रत्येक के प्रति किसी निर्देश का, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अर्थ औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1955 (1955 का 16) की धारा 2 के [वित्त विधेयक, 1976 के खण्ड 39(ख)(iv) द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के लिए यथा-निर्दिष्ट] खण्ड (ज) में परिभाषित "स्वापक औषधि" या "स्वापक" के प्रति निर्देश से किया जाएगा ।

अनुसूची

1. अफीम, भारतीय हैम्प और अन्य स्वापक औषधियां या स्वापक ।
2. अफीम, भारतीय हैम्प और अन्य स्वापक औषधियां और स्वापक ।
3. अफीम, भारतीय हैम्प, स्वापक औषधियां और अन्य स्वापक ।
4. अफीम, भारतीय हैम्प और अन्य स्वापक औषधि और स्वापक ।
5. अफीम, भारतीय हैम्प, या अन्य स्वापक औषधि या स्वापक ।
6. अफीम, भारतीय हैम्प या अन्य स्वापक औषधियां और स्वापक ।

[सं० 4—का० सं० 655/6/74(अफीम)]

ओम प्रकाश मेहरा, उप सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976